NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 30-08-2024

तालिका

जेंडर बजटिंग

भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC)

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति

सेमीकंडक्टर विनिर्माण नीति के दूसरे चरण के लिए 15 बिलियन डॉलर का प्रोत्साहन

INS अरिघाट और भारत की परमाणु नीति

संक्षिप्त समाचार

मुस्लिम विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने संबंधी विधेयक

शी-बॉक्स

इस्लामाबाद में SCO बैठक

क्वासर

उत्तरी गंजा आइबिस

चांदीपुरा वायरस

बोंडा जनजाति

प्रशांत द्वीप समूह फोरम (PIF)

जेंडर बजटिंग

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/शासन

सन्दर्भ

- जेंडर बजट पहली बार 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद अनुमान के 1% तक पहुंच गया।

परिचय

- इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के केंद्र में महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास बना हुआ है।
- महिलाओं के हित में कार्यक्रमों के लिए वर्तमान में कुल आवंटन 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
- वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2025 तक महिला कल्याण के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय 218.8 % की वृद्धि हुई है।

जेंडर बजटिंग क्या है?

- जेंडर बजटिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें बजटिंग प्रक्रिया में लैंगिक विचारों को सम्मिलित किया जाता है।
- इसे पहली बार 2005-06 में प्रस्तुत किया गया था।
- इसमें बजट संसाधनों का विश्लेषण और आवंटन इस प्रकार से किया जाता है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं को संबोधित किया जा सके। लिंग-संवेदनशील नीतियों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जा सके।

जेंडर बजट 2023-24

- पिछले जेंडर बजट में लगातार कुल बजटीय आवंटन का औसतन 5% भाग बताया गया है।
- इस वर्ष महिला-समर्थक योजनाओं के लिए आवंटन का भाग 2024-25 के कुल बजट व्यय का लगभग 6.8% है, जो सामान्य आंकड़ो से कहीं अधिक है।
- जेंडर बजट को तीन भागों में विभाजित किया गया है।
    - भाग A में महिलाओं के लिए 100% प्रावधान वाली योजनाएं सम्मिलित हैं, जबकि भाग B में महिलाओं के लिए 30-99% आवंटन वाली योजनाएं सम्मिलित हैं।
    - पहली बार, भाग C में महिलाओं के लिए 30% तक के आवंटन वाली योजनाएं सम्मिलित हैं।

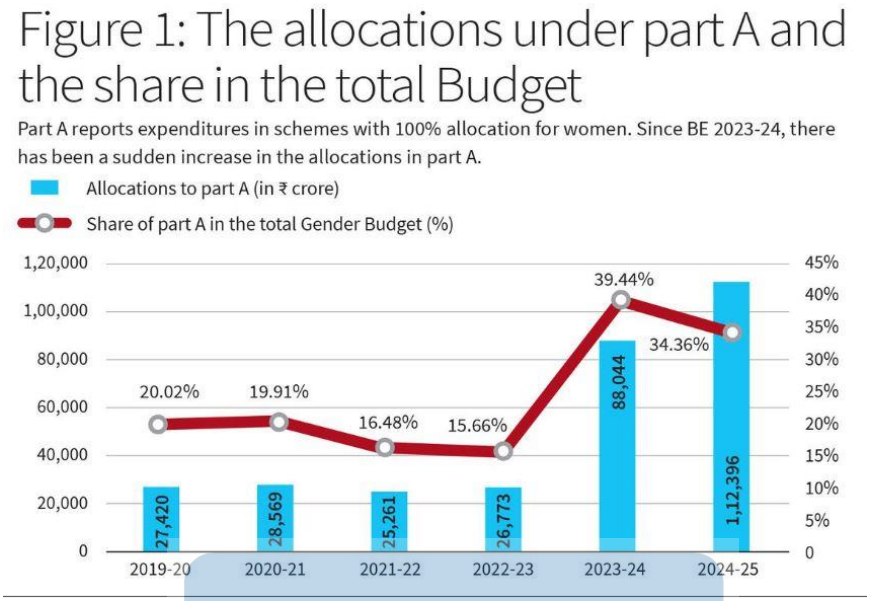

महत्त्व

- आर्थिक सर्वेक्षण में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा से शुरू होकर महिला-नेतृत्व वाले विकास के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
  - प्रमुख संकेतक इस क्षेत्र में प्रगति दर्शाते हैं, जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात (SRB) 918 से बढ़कर 930 हो गया है, तथा मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 97 हो गई है।
- कौशल विकास में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है।
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत, यह वित्त वर्ष 2016 में 42.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 52.3% हो गया।
  - जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना में 82 % महिला लाभार्थी हैं।
  - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) में महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2016 में 9.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 13.3% हो गई।
  - राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) में, यह वित्त वर्ष 2017 में 7.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 20.8% हो गई।

सरकारी पहल

- **मिशन शक्ति** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा 2021-2025 की अवधि के लिए शुरू किया गया एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है।
  - इसका उद्देश्य महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को दृढ करना है और महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बनाना है।

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तथा पीएम मातृ वंदना योजना जैसी पहलों ने भी महिलाओं एवं लड़कियों के कल्याण और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण सुधार लाने में योगदान दिया है।
- मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम महिलाओं के स्वास्थ्य को सिर्फ कैलोरी सेवन से आगे बढ़ाने और उचित सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ समग्र स्वास्थ्य तथा प्रतिरक्षा में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ-किरण (WISE KIRAN) कार्यक्रम ने 2018 से 2023 तक लगभग 1,962 महिला वैज्ञानिकों का समर्थन किया है।

निष्कर्ष

- GBS में आवंटन के लिए स्पष्टीकरण सम्मिलित करने से न केवल लेखांकन सटीकता सुनिश्चित होगी, बल्कि लैंगिक ऑडिट में भी मदद मिलेगी और सरकारी कार्यक्रमों में बेहतर लैंगिक परिणामों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।
- GBS में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न वर्षों से किया जा रहा समर्थन तीसरे भाग को सम्मिलित करने में परिलक्षित होती है।
- लैंगिक संवेदनशील बजट अर्थव्यवस्था में लैंगिक अंतर को कम करने का एक शक्तिशाली साधन है।

Source: TH

भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC)

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सन्दर्भ

- हाल ही में भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय कार्य तंत्र (WMCC) की 31वीं बैठक बीजिंग में आयोजित हुई।

WMCC के बारे में

- यह भारत और चीन के मध्य सीमा संबंधी मुद्दों के संचार, समन्वय और प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित एक संस्थागत ढांचा है।
- इसे 2012 में भारत-चीन समझौते के माध्यम से स्थापित किया गया था।
- यह सीमा मामलों के बारे में बेहतर संस्थागत सूचना विनिमय की आवश्यकता के जवाब के रूप में उभरा।
- इस तरह के तंत्र का विचार पहली बार 2010 में चीन के तत्कालीन प्रीमियर वेन जियाबाओ द्वारा सुझाया गया था।

संरचना और कार्य

- WMCC में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य सीमा समस्याओं का समाधान करना, संचार को बढ़ाना और सहयोग को बढ़ावा देना है।
- विशेष रूप से, WMCC भारत-चीन सीमा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जहाँ ऐतिहासिक रूप से तनाव और विवाद उपस्थित रहे हैं।

भारत-चीन सीमा मामलों पर WMCC की बैठक

- 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गतिरोध शुरू होने के पश्चात् इसे सक्रिय किया गया था।
- चर्चा 'गहन, रचनात्मक और दूरदर्शी थी और दोनों पक्ष स्थापित राजनयिक तथा सैन्य चैनलों के माध्यम से गति बनाए रखने पर सहमत हुए।
- यह वार्ता ऐसे संकेतों के मध्य हुई है कि दोनों देश पूर्वी लद्दाख में LAC पर गतिरोध को हल करने के प्रयास कर रहे हैं।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)

- LAC वह सीमांकन है जो भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है।
- भारत LAC को 3,488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीनी इसे केवल 2,000 किलोमीटर के आस-पास मानते हैं।
- इसे तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:
  - पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक विस्तारित है;
  - मध्य क्षेत्र जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में विस्तारित है,
  - और पश्चिमी क्षेत्र जो लद्दाख में विस्तारित है।
- अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से जुड़े पूर्वी क्षेत्र में LAC को मैकमोहन रेखा कहा जाता है जो 1,140 किलोमीटर लंबी है।

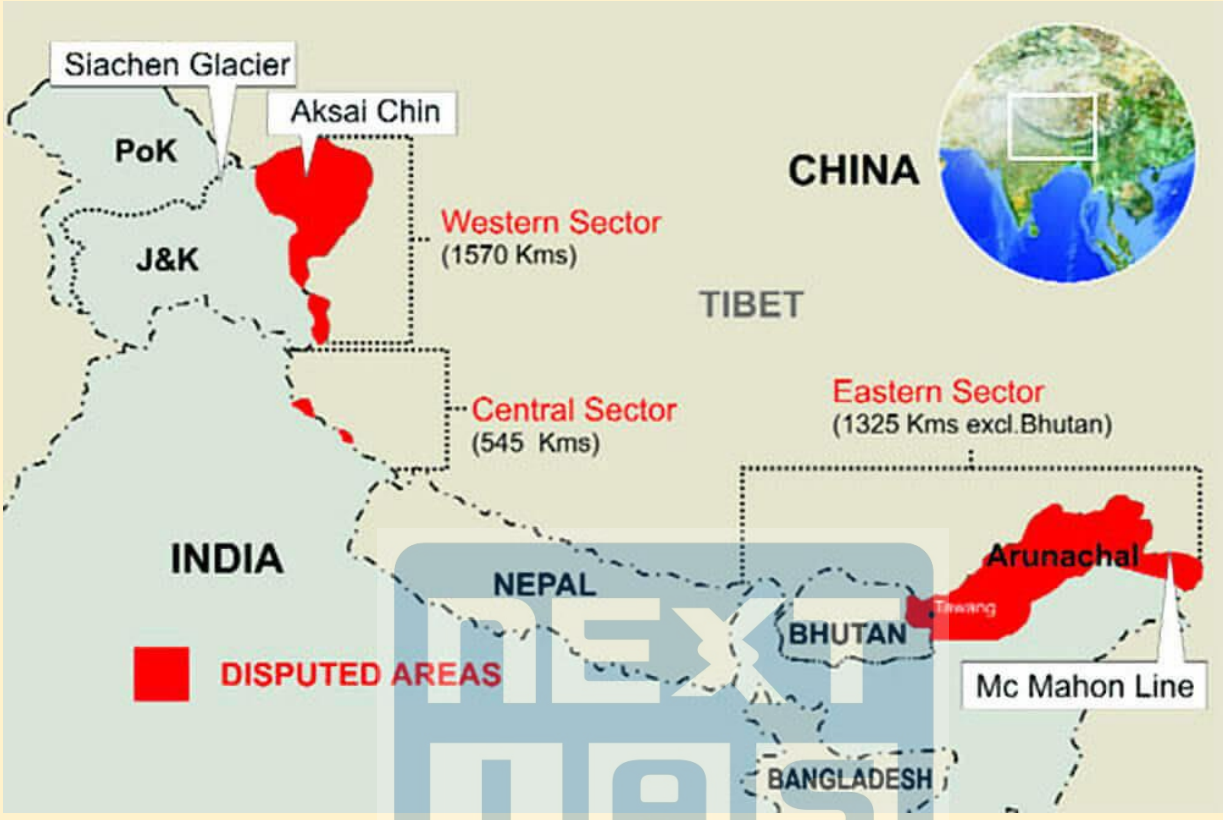

भारत-चीन सीमा पर प्रमुख टकराव बिंदु

- **देपसांग मैदान:** यह क्षेत्र लद्दाख के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और यहाँ पहले भी चीनी सैनिकों की घुसपैठ देखी गई है।
- **डेमचोक:** यह क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित है और यहाँ भारत तथा चीन के मध्य सीमा को लेकर विवाद रहा है।
- **पैंगोंग झील:** यह क्षेत्र दोनों देशों के मध्य एक प्रमुख टकराव का बिंदु रहा है, जहाँ चीनी सैनिक इस क्षेत्र में LAC पर यथास्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं।
- **गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स:** ये दोनों क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित हैं और हाल के वर्षों में यहाँ भारतीय तथा चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध देखा गया है।
- **अरुणाचल प्रदेश:** इस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य पर चीन अपने क्षेत्र के भाग के रूप में दावा करता है और यह दोनों देशों के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु रहा है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा से किस प्रकार भिन्न है?

- नियंत्रण रेखा 1948 में कश्मीर युद्ध के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय की गई युद्ध विराम रेखा से उभरी है।
- इसे 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौते के बाद नियंत्रण रेखा के रूप में नामित किया गया था। इसे दोनों सेनाओं के DGMOs द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र पर चित्रित किया गया है और इसे कानूनी

समझौते की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है।

- LAC केवल एक अवधारणा है , इस पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं है, न ही इसे मानचित्र पर दर्शाया गया है और न ही जमीन पर इसका सीमांकन किया गया है।

भारत और चीन के लिए शांति का महत्व

- **आर्थिक सहयोग:** भारत एवं चीन विश्व की दो सबसे बड़ी तथा सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएँ हैं और बेहतर संबंध व्यापार व निवेश को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** भारत तथा चीन एशिया की दो प्रमुख शक्तियाँ हैं और उनके संबंधों का क्षेत्रीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- **सीमा सुरक्षा:** सीमा सुरक्षा बनाए रखने और सीमा पर किसी भी संघर्ष या गलतफहमी से बचने के लिए दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध आवश्यक हैं।
- **भू-राजनीति:** भारत तथा चीन दोनों वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनका शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व अधिक स्थिर और पूर्वानुमानित अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है।

शांति प्रक्रिया में चुनौतियाँ

- **सैन्य निर्माण:** सीमा पर दोनों देशों द्वारा सैन्य निर्माण ने तनाव में वृद्धि की है और शांति प्रक्रिया को तथा अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
- **ऐतिहासिक मुद्दे:** 1962 के चीन-भारत युद्ध सहित ऐतिहासिक मुद्दे दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रभावित करते रहे हैं।
- **सीमा विवाद:** कई दौर की बातचीत के बावजूद, दोनों पक्ष सीमा विवाद, विशेषकर LACपर, के स्थायी समाधान तक नहीं पहुंच पाए हैं।

आगे की राह

- भारत-चीन शांति प्रक्रिया के लिए इन चुनौतियों का समाधान करने और आपसी विश्वास तथा समझ बनाने के लिए दोनों पक्षों की ओर से निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
- सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से चर्चा जारी रखने तथा सीमा पर स्थिति को स्थिर करने के लिए दोनों देशों के नेताओं द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण सहमति को सक्रिय रूप से लागू करने की आवश्यकता है।
- कुल मिलाकर, भारत और चीन के बीच शांति दोनों देशों के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामरिक हितों के साथ-साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है।

Source: TH

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-3/ अर्थव्यवस्था

सन्दर्भ

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की है।

परिचय

- कार्यक्रम तथा नीति को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (RVSFs) और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (ATSs) के नेटवर्क के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- वर्तमान में, देश में 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में साठ से अधिक RVSFs और 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पचहत्तर ATSs संचालित हैं।
- बेड़े के आधुनिकीकरण तथा सर्कुलर इकोनॉमी के महत्व को पहचानते हुए, विभिन्न वाणिज्यिक और यात्री वाहन निर्माताओं ने जमा प्रमाणपत्र (स्क्रैपेज सर्टिफिकेट) के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए छूट देने पर सहमति व्यक्त की है।
    - वाणिज्यिक वाहन और यात्री वाहन निर्माताओं ने क्रमशः दो वर्ष और एक वर्ष की सीमित अवधि के लिए छूट देने की इच्छा व्यक्त की है।

वाहन स्क्रैपिंग नीति के लाभ

- **नई कारों की मांग में वृद्धि:** पुराने वाहनों को स्क्रैप किए जाने से नए वाहनों की मांग बढ़ेगी। 51 लाख से अधिक हल्के मोटर वाहन (निजी और वाणिज्यिक) 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
- **रोजगार वृद्धि:** स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित करने और वाहनों की बिक्री में वृद्धि से विनिर्माण, सेवाओं तथा रीसाइक्लिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा।
- **बेहतर वायु गुणवत्ता:** अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करने से वायु प्रदूषण कम होगा और वायु गुणवत्ता बेहतर होगी।
- **स्क्रैप के लिए सर्वोत्तम मूल्य:** वाहन मालिकों को टायर जैसे कार्य करने योग्य भागों के लिए कार स्क्रैपेज के लिए सर्वोत्तम मूल्य मिलेगा। रीसाइक्लिंग उद्योग भी अधिक सक्रिय होगा जिससे राजस्व में वृद्धि होगी।
- **बेहतर ईंधन दक्षता:** नए वाहन सामान्यतः अधिक ईंधन कुशल होते हैं, जिससे ईंधन की खपत में बचत होती है और जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता कम होती है।

चुनौतियाँ

- **वित्तीय भार:** पुराने वाहनों के मालिक, विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोग, प्रोत्साहन के बावजूद अपने वाहनों को बदलना वित्तीय रूप से बोझिल पाते हैं।

- **अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियाँ:** लाखों वाहनों को नष्ट करने से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के प्रबंधन में चुनौतियाँ आती हैं, जिसमें बैटरी, तेल और इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे खतरनाक पदार्थ सम्मिलित हैं।
- **बाजार में व्यवधान:** नष्ट हो चुके वाहनों की अचानक प्रवेश और नए वाहनों की मांग से ऑटोमोटिव बाजार में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जिससे कीमतों और मांग पर अप्रत्याशित रूप से प्रभाव उत्पन्न हो सकता है।

आगे की राह

- योजना की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि स्क्रैपिंग सेंटर वाहन मालिकों के लिए आसानी से सुलभ हों, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।
- नीति के प्रभाव की नियमित समीक्षा करने एवं तकनीकी प्रगति तथा बदलती पर्यावरणीय आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक समायोजन करने के लिए एक तंत्र भी स्थापित करें।
- असंगठित क्षेत्र के छोटे व्यवसायों और श्रमिकों को सहायता प्रदान करें जो नीति से प्रभावित हो सकते हैं।
- इसमें पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम, वित्तीय सहायता या नए ऑटोमोटिव इकोसिस्टम में संक्रमण के अवसर सम्मिलित हो सकते हैं।

Source: AIR

सेमीकंडक्टर विनिर्माण नीति के दूसरे चरण के लिए 15 बिलियन डॉलर का प्रोत्साहन

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

सन्दर्भ

- भारत अमेरिका, ताइवान तथा दक्षिण कोरिया के पदचिन्हों पर चलते हुए वैश्विक चिप हब के रूप में उभरने के लिए 15 अरब डॉलर के प्रोत्साहन के साथ अपनी सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है।

परिचय

- संशोधित ब्लूप्रिंट चिप निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल, गैसों और रसायनों के लिए पूंजी समर्थन पर केंद्रित है।
- हालांकि, असेंबली और परीक्षण संयंत्रों के लिए पूंजीगत व्यय सब्सिडी, जिसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया था, को नई योजना के अंतर्गत कम किया जा सकता है।
- मार्च 2024 में, सरकार ने 1.26 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ गुजरात और असम में तीन सेमीकंडक्टर इकाइयाँ स्थापित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी।
- अब सरकार उन्नत निर्माण प्रौद्योगिकियों और माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले पर विचार कर रही है, जो चिप पारिस्थितिकी तंत्र के अधिक जटिल तत्वों की ओर परिवर्तन का संकेत है।

अर्धचालक क्या है?

- सेमीकंडक्टर जिन्हें 'चिप्स' भी कहा जाता है, डिजाइन और निर्माण के लिए अत्यधिक जटिल उत्पाद हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को डेटा को संसाधित करने, संग्रहीत करने तथा संचारित करने के लिए आवश्यक कार्यक्षमता प्रदान करते हैं।
- चिप में ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर और प्रतिरोधकों के अंतर्संबंध सम्मिलित हैं, जो सिलिकॉन की वेफर शीट पर परतदार होते हैं।

पहले की नीति

- 2021 में जारी की गई प्रोत्साहन नीति के पहले संस्करण में, केंद्र सरकार ने चिप पैकेजिंग और परीक्षण संयंत्रों के लिए 30% पूंजीगत व्यय सब्सिडी की प्रस्तुति की थी। हालांकि, 2022 में उसने ऐसे संयंत्रों के लिए सब्सिडी बढ़ाकर 50% कर दी थी।

चिप निर्माण में वैश्विक परिदृश्य

- वर्तमान वैश्विक विनिर्माण क्षमता का लगभग 70% दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन तक सीमित है, जबकि बाकी का अधिकांश भाग अमेरिका तथा जापान के पास है।
- ताइवान और दक्षिण कोरिया चिप्स के लिए वैश्विक फाउंड्री बेस का लगभग 80% भाग बनाते हैं।
- नीदरलैंड स्थित ASML नामक एकमात्र कंपनी EUV (एक्सट्रीम अल्ट्रावॉयलेट लिथोग्राफी) डिवाइस बनाती है, जिसके बिना उन्नत चिप बनाना संभव नहीं है।

भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ

- भारत के करीबी सहयोगी, जैसे अमेरिका तथा यूरोपीय संघ, भी सेमीकंडक्टर के अवसर को समझते हैं और उन्होंने भारत की तुलना में अधिक आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की हैं।
- **प्रतिभा पूल:** जबकि भारत सभी प्रमुख चिप कंपनियों के डिज़ाइन इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ा बैक ऑफिस है, फिर भी कुशल प्रतिभाएँ जो फ़ैब्रिकेशन प्लांट के फ़ैक्टरी फ़्लोर पर कार्य कर सकती हैं, मिलना अभी भी मुश्किल है।
    - गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी का ATMP संयंत्र निर्धारित समय से 133 दिन पीछे चल रहा है, क्योंकि कंपनी पर्याप्त संख्या में निर्माण कर्मियों को नियुक्त करने में असमर्थ है।
- **अनुसंधान एवं विकास:** भारत में वर्तमान में सेमीकंडक्टर डिजाइन में मौलिक अनुसंधान का अभाव है, जहां चिप का भविष्य तय होता है।
- **बिजली की आपूर्ति:** बिजली की निर्बाध आपूर्ति इस प्रक्रिया के लिए केंद्रीय है, जिसमें कुछ सेकंड के उतार-चढ़ाव या स्पाइक्स से लाखों की हानि होती है।
- **पानी की अधिक खपत:** चिप बनाने के लिए एक दिन में कई गैलन अल्ट्राप्योर पानी की आवश्यकता होती है।

परियोजना का महत्व

- **रोजगार सृजन:** भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न रोजगार अवसर उत्पन्न करेंगी।
- **आयात पर निर्भरता में कमी:** भारत वर्तमान में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आयातित सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भर है।
    - घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना से भू-राजनीतिक तनावों या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधानों के समय देश की आत्मनिर्भरता और लचीलापन बढ़ेगा।
- **निर्यात के अवसर:** प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर उद्योग के साथ, भारत अन्य देशों को चिप्स तथा संबंधित उत्पादों का निर्यात कर सकता है, जिससे राजस्व उत्पन्न होगा और इसके व्यापार संतुलन में सुधार होगा।
- **रणनीतिक महत्व:** सेमीकंडक्टर चिप्स रक्षा, एयरोस्पेस और दूरसंचार जैसे विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घटक हैं।
    - घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग होने से आपूर्ति श्रृंखला पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित होता है और व्यवधानों या बाहरी दबावों की आशंका कम हो जाती है।

सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए अन्य पहल

- **भारत सेमीकंडक्टर मिशन:** इसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अन्दर एक स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया है, जिसके पास सेमीकंडक्टर विकसित करने और विनिर्माण सुविधाओं तथा सेमीकंडक्टर डिज़ाइन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए भारत की दीर्घकालिक रणनीतियों को तैयार करने एवं चलाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता है।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:** सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और पैकेजिंग के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।
- **क्वाड सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पहल**: क्षमता का आकलन करना, कमजोरियों को इंगित करना तथा सेमीकंडक्टर और इसके महत्वपूर्ण घटकों के लिए आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को बढ़ाना।

आगे की राह

- सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करके भारत वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है।
- भारत विदेशी निवेश को भी आकर्षित कर सकता है, नवाचार को प्रोत्साहन दे सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अन्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर सकता है। एक सशक्त उद्योग भारत की GDP वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

Source: IE

INS अरिघाट और भारत की परमाणु नीति

पाठ्यक्रम: जीएस 3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

समाचार में

- भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, INS अरिघाट को विशाखापत्तनम में सेवा में शामिल किया गया

INS अरिघाट के बारे में

- इसमें अपने पूर्ववर्ती INS अरिहंत की तुलना में विभिन्न तकनीकी उन्नयन हैं।
- दोनों पनडुब्बियों में एक ही रिएक्टर और आयाम हैं, लेकिन अरिघाट में उन्नत डिजाइन और विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मिलित है।
- **निर्माण और स्वदेशीकरण:** पनडुब्बी में उन्नत प्रौद्योगिकी, विशेष सामग्री और कुशल कारीगरी सम्मिलित है।
  - इसमें भारतीय वैज्ञानिकों तथा उद्योग द्वारा विकसित स्वदेशी प्रणालियाँ और उपकरण सम्मिलित हैं।
- **महत्व:** INS अरिघाट भारत की परमाणु त्रिकोण को बढ़ाता है, जिसमें भूमि आधारित मिसाइलें, विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियां (SSBNs) सम्मिलित हैं।
  - यह भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को दृढ करता है और क्षेत्रीय सामरिक संतुलन बनाए रखने में योगदान देता है।

INS अरिहंत

- INS अरिहंत अपनी तरह का पहला जहाज था, जिसे 2009 में लॉन्च किए जाने के बाद 2016 में कमीशन किया गया था।
- INS अरिहंत K-15 SLBM(750 किलोमीटर रेंज) से शस्त्र-सज्जित है और K-4 SLBM(3,500 किलोमीटर रेंज) का विकास किया जा रहा है।
- K-4 SLBMभारत की समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा।
  - परमाणु त्रिभुज के पूरा होने की घोषणा नवंबर 2018 में की गई थी।
- इस श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी निर्माणाधीन है, जो बड़ी और अधिक क्षमतावान होगी।

परमाणु सिद्धांत:

- **ऐतिहासिक संदर्भ:** 1962 में चीन के साथ युद्ध और चीन के 1964 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत का परमाणु हथियार विकास शुरू हुआ।
  - 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण-I किया, जिसे "शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट" कहा गया।
  - 1998 में भारत ने पोखरण-II परीक्षण किया, जिसमें विखंडन और थर्मोन्यूक्लियर उपकरण सम्मिलित थे, जो अपने मिसाइल कार्यक्रम के साथ परमाणु हथियारों को एकीकृत करने की क्षमता का प्रदर्शन करते थे।
- **विशेषताएँ**

- **विश्वसनीय न्यूनतम निवारण:** भारत का लक्ष्य विश्वसनीय न्यूनतम निवारण बनाए रखना है।
- **नो फर्स्ट यूज (NFU) नीति:** परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल भारतीय क्षेत्र या सेना पर परमाणु हमले के प्रतिउत्तर में किया जाएगा।
- **बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई:** पहले हमले के लिए परमाणु जवाबी कार्रवाई बड़े पैमाने पर होगी और अस्वीकार्य क्षति पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की जाएगी।
- **अधिकार:** परमाणु जवाबी हमलों को केवल परमाणु कमान प्राधिकरण (NCA) के माध्यम से नागरिक राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।
- **गैर-परमाणु राज्यों के विरुद्ध गैर-उपयोग:** भारत गैर-परमाणु हथियार राज्यों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा।
- **जैविक/रासायनिक आक्रमणों पर प्रतिक्रिया:** भारत किसी बड़े जैविक या रासायनिक आक्रमण की स्थिति में परमाणु जवाबी कार्रवाई का विकल्प बरकरार रखता है।
- **निर्यात नियंत्रण और संधियाँ:** परमाणु और मिसाइल-संबंधी सामग्री निर्यात पर सख्त नियंत्रण जारी रखना, विखंडनीय सामग्री कटऑफ संधि वार्ता में भागीदारी और परमाणु परीक्षणों पर रोक का पालन करना।
- **निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता:** वैश्विक, सत्यापन योग्य और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति सतत प्रतिबद्धता।

चुनौतियाँ और मुद्दे

- भारत अभी भी बड़ी परमाणु शक्तियों से पीछे है, क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन के पास अधिक उन्नत परमाणु पनडुब्बियाँ हैं।
- चीन के परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के बढ़ते बेड़े और पाकिस्तान के समुद्र आधारित परमाणु निरोध के संभावित विकास ने भारत के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं।
- कुछ लोगों का तर्क है कि भारत की "नो फर्स्ट यूज़" (NFU) नीति और छोटे शस्त्रागार पर बल विश्वसनीय निरोध को कमज़ोर कर सकता है।
- आलोचकों का मानना है कि "न्यूनतम निरोध" और "बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई" पर सिद्धांत का ध्यान उभरते जोखिमों के विरूद्ध पर्याप्त नहीं हो सकता है।

सुझाव और आगे की राह

- चीन की उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) क्षमताएँ और हिंद महासागर में पनडुब्बी की बढ़ती तैनाती भारत की मज़बूत निरोध क्षमता की आवश्यकता को प्रकट करती है।
- भारत की परमाणु क्षमताओं का आकलन चीन और पाकिस्तान के सापेक्ष किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के पास उन्नत शस्त्रागार हैं।
- चीन और पाकिस्तान से बढ़ते परमाणु खतरों के बीच एक विश्वसनीय द्वितीय-हमला क्षमता बनाए रखने के लिए INS अरिघाट का जलावतरण महत्वपूर्ण है।

- समुद्र में निरंतर निरोध सुनिश्चित करने के लिए, भारत को अपने SSBN बेड़े का विस्तार करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जिसमें कम से कम छह SSBN का सुझाया गया लक्ष्य होना चाहिए।

Source:TH

संक्षिप्त समाचार

मुस्लिम विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाने संबंधी विधेयक

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-1/समाज

सन्दर्भ

- हाल ही में, असम ने सरकार के साथ मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए 'असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक, 2024' पारित किया है।

असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक, 2024 के बारे में

- इसने ब्रिटिश काल के असम मुस्लिम विवाह तथा तलाक अधिनियम 1935 का स्थान लिया, जिसमें बाल विवाह की अनुमति थी और बहुविवाह को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया था, विभिन्न महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किए।
- इसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना, सहमति सुनिश्चित करना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और मुस्लिम समुदाय के अंदर बहुविवाह पर अंकुश लगाना है।
- यह सरकारी पंजीकरण के माध्यम से विवाह और तलाक को औपचारिक बनाने के महत्व को पहचानता है।

वर्तमान पंजीकरणों को मान्य करना

- काजियों (इस्लामी कानूनी अधिकारियों) द्वारा किए गए पिछले विवाह पंजीकरण वैध रहेंगे।
- नए कानून के अंतर्गत आने वाली नई शादियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- सरकार कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित करते हुए इस्लामी रीति-रिवाजों के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहती है।

नए कानून के अंतर्गत पंजीकरण की शर्तें

- विवाह संपन्न होने के पश्चात से ही दंपत्ति पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हों।
- विवाह से कम से कम 30 दिन पहले से ही उन्हें विवाह और तलाक रजिस्ट्रार के जिले में रहना चाहिए।
- विवाह के समय दोनों पक्षों की आयु कानूनी रूप से पूरी होनी चाहिए (लड़कियों के लिए कम से कम 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष)।
- सहमति स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए।
- दोनों पक्षों का मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए और वे अक्षम या पागल नहीं होने चाहिए।
- विवाह को शरीयत या मुस्लिम कानून के अनुसार निषिद्ध संबंध की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

- विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन में प्रासंगिक पहचान और निवास दस्तावेज सम्मिलित होने चाहिए।

Source: TH

शी-बॉक्स

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन 2/ शासन

सन्दर्भ

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल 'शी-बॉक्स' लॉन्च किया है।

परिचय

- यह आंतरिक समितियों (IC) और स्थानीय समितियों (LC) से संबंधित सूचनाओं के केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- यह शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति पर नज़र रखने और IC द्वारा शिकायतों का समयबद्ध प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है।
- यह शिकायतों के निवारण और सभी हितधारकों के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया भी प्रदान करता है।
- एक नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से पोर्टल शिकायतों की वास्तविक समय पर निगरानी करने में सक्षम होगा।

Source: TH

इस्लामाबाद में SCO बैठक

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर- 2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में आमंत्रित किया है, जो अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद में प्रस्तावित है।

SCO की पिछली बैठकें:

- भारत ने पिछले वर्ष SCO शिखर सम्मेलन की वर्चुअल मेज़बानी की थी, जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने वीडियो लिंक के माध्यम से भाग लिया था।
- मई 2023 में, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी गोवा में SCO विदेश मंत्रियों की परिषद की व्यक्तिगत बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए, जो लगभग 12 वर्षों में इस तरह की पहली यात्रा थी।
- पाकिस्तान वर्तमान में SCO सरकार के प्रमुखों की परिषद (CHG) की घूर्णन अध्यक्षता करता है और दो दिवसीय व्यक्तिगत बैठक की मेज़बानी करेगा।

क्या आप जानते हैं ?

- पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसका मुख्य कारण कश्मीर मुद्दा और सीमा पार आतंकवाद है।
- भारत का मत है कि वह पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध चाहता है, बशर्ते कि पाकिस्तान आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाए।
    - 5 अगस्त, 2019 को भारतीय संसद द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने संबंधों को कम कर दिया।

शंघाई सहयोग संगठन(SCO)

- यह 15 जून, 2001 को शंघाई (PRC) में स्थापित एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- **संस्थापक सदस्य:** कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान
- **वर्तमान सदस्य देश:**

- **आधिकारिक भाषाएँ:** रूसी और चीनी
- **निर्णय लेने वाली संस्थाएँ:** राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (CHS): प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए वार्षिक बैठक होती है
    - शासनाध्यक्षों की परिषद (CHS): बहुपक्षीय सहयोग, आर्थिक प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और बजट को मंजूरी देने के लिए प्रतिवर्ष बैठक होती है
- **लक्ष्य:** सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और अच्छे पड़ोसी भाव को दृढ करना
    - राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग को प्रोत्साहित करना
    - क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना और बनाए रखना
    - निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहन देना।

Source:TH

क्वासर

पाठ्यक्रम:सामान्य अध्ययन पेपर- 3/अंतरिक्ष

समाचार में

- यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला (ESO) के अति विशाल टेलीस्कोप (VLT) का उपयोग कर खगोलविदों ने सबसे चमकीले ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, जिसे क्वासर के रूप में पहचाना गया है।

परिचय

- J0529-4351 नामक क्वासर का द्रव्यमान 17 बिलियन सूर्य के बराबर है और यह प्रतिदिन लगभग एक सूर्य के बराबर पदार्थ का उपभोग करता है।
- इसे अब तक देखी गई सबसे चमकदार वस्तु के रूप में वर्णित किया गया है, जो सूर्य की तुलना में 500 ट्रिलियन गुना अधिक प्रकाश उत्सर्जित करती है।
- J0529-4351 से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 12 बिलियन वर्ष से अधिक का समय लगा, जो दर्शाता है कि यह हमसे बहुत दूर स्थित है।

क्वासर

- वे सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक (AGNs) का एक उपवर्ग हैं जो अपनी अत्यधिक चमक के लिए जाने जाते हैं।
- वे अत्यधिक चमकदार आकाशगंगा केंद्र हैं, जहां गैस और धूल एक अतिविशाल ब्लैक होल में गिरते हैं तथा सम्पूर्ण विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम में विकिरण उत्सर्जित करते हैं।
- वे ब्रह्मांड की सबसे चमकदार वस्तुओं में से हैं, जो संपूर्ण आकाशगंगा से हजारों गुना अधिक प्रकाश उत्सर्जित करती हैं।

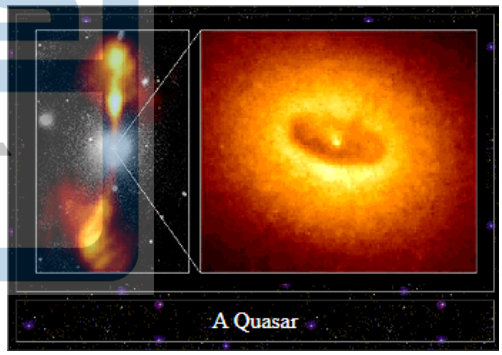

- इन्हें सामान्यतः पृथ्वी से काफी दूरी पर देखा जाता है, जिसका अर्थ है कि हम इन्हें उसी रूप में देखते हैं जैसे वे अरबों वर्ष पहले थे।
- **हबल स्पेस टेलीस्कोप की खोजें:** 1996 में हबल ने 9 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित क्वासर की एक छवि कैप्चर की, जो इसका 100,000वाँ एक्सपोज़र था।
- **क्वासर से अंतर्दृष्टि:** क्वासर के अध्ययन से आकाशगंगाओं के जन्म और ब्रह्मांड के विस्तार की दर को समझने में सहायता मिलती है।

Source:TH

उत्तरी गंजा आइबिस

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-3/ पर्यावरण

सन्दर्भ

- उत्तरी गंजा आइबिस, जिसे वाल्ड्रैप के नाम से भी जाना जाता है, 17वीं शताब्दी तक विलुप्त हो चुका था, लेकिन पिछले दो दशकों में प्रजनन और पुनर्वनीकरण प्रयासों के माध्यम से इसे पुनर्जीवित किया गया है।

परिचय

- **विशेषताएँ:** उत्तरी गंजा आइबिस की चोंच लंबी और नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है। इनकी पहचान इनके काले पंख, इंद्रधनुषी हरा रंग और गंजा लाल सिर से होती है, जिस पर अलग-अलग काले निशान होते हैं।
- **वितरण:** यह पक्षी उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप और यूरोप के अधिकांश भागों में सामान्य था। हालाँकि, शिकार और आवास विनाश के कारण यह 300 से अधिक वर्षों से मध्य यूरोप में विलुप्त हो गया।
- उत्तरी गंजा आइबिस अपनी स्पर्श इंद्रिय की सहायता से कीटों के लार्वा, केंचुओं और अन्य अकशेरुकी जीवों को खोजने के लिए जमीन में छेद करते हैं।

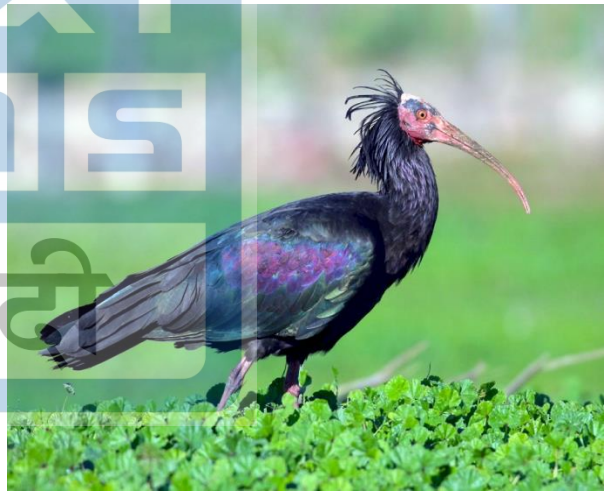

- **संरक्षण स्थिति:** इस प्रजाति की IUCN स्थिति "लुप्तप्राय" है। (पहले यह "गंभीर रूप से लुप्तप्राय" थी)।
- **संरक्षण प्रयास:** यह वापसी कर रहा है क्योंकि वैज्ञानिक एक अल्ट्रालाइट विमान का उपयोग करके ऑस्ट्रिया से स्पेन तक अपने प्राचीन प्रवास मार्ग पर इनमें से 36 पक्षियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

Source:TH

चांदीपुरा वायरस

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/स्वास्थ्य

सन्दर्भ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में भारत में चांदीपुरा वायरस के वर्तमान प्रकोप को 20 वर्षों में सबसे बड़ा बताया है।

चांदीपुरा वायरस

- चांदीपुरा वायरस, जिसे चांदीपुरा वेसिकुलोवायरस (CHPV) भी कहा जाता है, एक RNA वायरस है जो रैबडोविरिडे परिवार से संबंधित है, जिसमें रेबीज वायरस भी सम्मिलित है।
- इसकी पहली बार पहचान 1965 में महाराष्ट्र के एक गांव चांदीपुरा में हुई थी।
- **प्रसार:** यह फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाई और फ्लेबोटोमस पापाटासी जैसी सैंडफ्लाई की वेक्टर-संक्रमित प्रजातियों तथा एडीज एजिप्टी (जो डेंगू का वेक्टर भी है) जैसी कुछ मच्छर प्रजातियों के डंक से होता है।
    - यह वायरस इन कीटों की लार ग्रंथि में रहता है, तथा इनके काटने से मनुष्यों या अन्य कशेरुकी प्राणियों जैसे पालतू पशुओं में फैल सकता है।
- **लक्षण:** यह बीमारी मुख्य रूप से 9 महीने से 14 वर्ष के बच्चों को प्रभावित करती है। बुखार, उल्टी, दस्त और सिरदर्द इसके मुख्य लक्षण हैं।
    - संक्रमण केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच सकता है, जिससे एन्सेफलाइटिस हो सकता है - मस्तिष्क के सक्रिय ऊतकों की सूजन।
- **उपचार:** चांदीपुरा वायरस संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या टीका नहीं है।

Source: TH

बोंडा जनजाति

पाठ्यक्रम: भारत में जनजातियाँ

सन्दर्भ

- ओडिशा के बोंडा जनजाति का एक लड़का, MBBS कार्यक्रम में प्रवेश के लिए NEET परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला अपने समुदाय का पहला लड़का बन गया है।

बोंडा जनजाति (उर्फ रेमो लोग) के बारे में

- यह ओडिशा के जंगली और एकांत मलकानगिरी जिले में मचकुंड नदी के पास रहते हैं ।
- उनकी विशिष्टता न केवल उनके भौगोलिक अलगाव में है, बल्कि उनकी अटूट भावना और प्राचीन सांस्कृतिक प्रथाओं में भी है।
- 'रेमो' के रूप में उनकी आत्म-पहचान स्वतंत्रता और आजादी की इस भावना को दर्शाती है।
- बोंडा पुरुष अपनी बहादुरी और निर्भीकता के लिए जाने जाते हैं। वे धनुष और तीर जैसे पारंपरिक हथियार रखते हैं।
- बोंडा भाषा ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा समूह से संबंधित है।

शयनगृह संगठन

- बोंडा जनजाति में शयनगृह प्रणाली का पालन किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं के रहने के लिए अलग-अलग स्थान होते हैं।

- ये शयनगृह सामाजिक मेलजोल, अनुष्ठान और चर्चाओं के लिए सामुदायिक क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं।

Source: TH

प्रशांत द्वीप समूह फोरम (PIF)

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/अंतर्राष्ट्रीय समूह

सन्दर्भ

- प्रशांत द्वीप फोरम (PIF) की वार्षिक बैठक टोंगा की राजधानी नुकुआलोफा में शुरू हो गई है।

परिचय

- इस कार्यक्रम में लगभग 40 देशों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
- इस वर्ष की वार्षिक बैठक में, जलवायु परिवर्तन एजेंडे में सबसे ऊपर है - विभिन्न PIF सदस्य विश्व के सबसे अधिक प्रभावित देशों में से हैं, विशेषकर बढ़ते समुद्री स्तर के कारण।

प्रशांत द्वीप समूह फोरम

- PIF 1971 में गठित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसमें प्रशांत क्षेत्र में स्थित 18 सदस्य देश शामिल हैं।
    - ऑस्ट्रेलिया, कुक द्वीप समूह, माइक्रोनेशिया संघीय राज्य, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबाती, नाउरू, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, मार्शल द्वीप गणराज्य, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालु और वानुअतु।
- PIF का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्र के लिए राजनीतिक शासन और सुरक्षा को बढ़ाना तथा क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है।
- वार्षिक फोरम की बैठकों की अध्यक्षता मेजबान देश के शासनाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो अगली बैठक तक फोरम के अध्यक्ष बने रहते हैं।
    - संगठन अपनी वार्षिक बैठक में प्राथमिकता वाले मुद्दों पर चर्चा करता है, जहां सदस्य देशों द्वारा लिए गए निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।
- इन निर्णयों का क्रियान्वयन प्रशांत द्वीप मंच सचिवालय द्वारा किया जाता है।

Source: IE

■■■■